न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सविता शर्मा, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या :– **631 / 2021**

GCMS NO. 2021/618

1. नन्द किशोर सैनी
2. रिसाल सिंह सैनी
3. चान्द सिंह सैनी
   पुत्रान श्री भोलाराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 24 खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0) मोबाईल नम्बर 9414540780

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
2. नगर पालिका खेतड़ी जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

..................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री राधेश्याम भारद्वाज	अभिभाषक	प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री गणेश कुमार सुरोलिया	अभिभाषक	अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक :– 01–04–2024**

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2021 को प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया कि :–

1. यह कि गत पैमाईश संवत 1998 की पैमाईश में मौजा खेतड़ी की भूमि खसरा नम्बर 1181 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा गैर मुमकीन आबादी ठीकाना खेतड़ी की जागीर में थी, जो कि ठीकाना खेतड़ी ने उक्त भूमि में से 2 बीघा 14 बिस्वा में जयनिवास कोठी की बगीची एवं 869 वर्गगज भूमि में बगीची के लिए नोहरा, मकानात ठीकाना खेतडी ने बनाये थे। इस प्रकार जयनिवास बगीची में 9037 वर्गगज भूमि चार दीवारीयुक्त थी एवं खसरा नम्बर 1181 का शेष भाग रकबा 6241 वर्गगज में ठीकाना खेतड़ी ने नई पलटन के लिए आवास बनाये थे उक्त भूमि [illegible]टन एवं जयनिवास बगीची का ठीकाना खेतड़ी सार्व भोम मालि[illegible] निजी सम्पति थी।
2. यह कि राज्य सरकार ने जागीर प्रथा [illegible] जागीरदारों की भूमि के लिए [illegible] तहत राजस्थान लैण्ड रिफोर्मस एण्ड रिज्यूमशन ऑफ जागीर एक्ट बनाया [illegible] तहत जागीर भूमि में राज्य सरकार को भूमिधारी (लैण्ड होल्डर) के अधिकार [illegible]22 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:48:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

तहत प्राप्त हो गये एवं जागीर भूमि में काश्तकारों को धारा 19 में अधिकार दिये गये एवं धारा 23 के तहत जागीरदारों की निजी भूमि घोषित कर उन्हे मालिकाना हक दिये गये। खेतड़ी ठीकाना ने भी जागीर कमिश्नर ने निजी सम्पति की सूची पेश की। तत्पश्चात जागीर कमिश्नर ने दिनांक 06.12.1957 को ठीकाना खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत सम्पति की सूची को धारा 23 के तहत उसकी निजी सम्पति घोषित की गई। जिसकी सूची में ठीकाना खेतड़ी की तहसील कोटपूतली, तहसील खेतड़ी, तहसील चिड़ावा, तहसील अजीतगढ़ की सम्पतियां शामिल थी। खेतड़ी तहसील की सूची के क्रमांक 48 पर खसरा नम्बर 1181 में बनी बगीची जयनिवास को भी राजा साहब की निजी सम्पति घोषित की गई। इस प्रकार उक्त सम्पति मीन खसरा नम्बर 1181 रकबा 9037 वर्गगज भूमि व उसमें बने भवनों का राजा साहब एकांकी मालिक हो गये।

3. यह कि ठीकाना खेतड़ी के अन्तिम राजा एवं जागीरदार राजा बहादुर सरदार सिंह थे जो ठीकाना खेतड़ी की निजी सम्पति के राजस्थान लैण्ड रिफार्मस एण्ड रिज्यूमशन एक्ट की धारा 23 के तहत एकांकी स्वामी व मालिक बने थे।

4. यह कि प्रार्थी का पिता श्री भोलाराम ठीकाना खेतड़ी की सेवा में थे व बाद में राजस्थान सरकार में पशु चिकित्सालय में कम्पाउण्डर थे। वे सरकारी नौकरी में थे इसलिये ठीकाना खेतड़ी ने जयनिवास बगीची की नीलामी की तो प्रार्थीगण के पिता भोलाराम ने यह नीलामी अपने पिता स्योनारायण के नाम से लगाई एवं ठिकाना खेतड़ी से नीलामी में जयनिवास बगीची की भूमि व भवन रकबा 9037 वर्गगज मय चारदीवारी के दिनांक 08.11.1966 को खरीद कर विक्रय पत्र अपने पिता के नाम से तस्दीक करवा लिया एवं उक्त भूमि व भवन पर प्रार्थीगण के पिता का कब्जा पहले से था एवं दिनांक 08.11.1966 के बाद वह जयनिवास बगीची का पूर्ण मालिक व स्वामी हो गया। प्रार्थीगण के दादा श्री स्योनारायण व पिता श्री भोलाराम का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त भूमि व भवन पर प्रार्थीगण बतौर मालिक काबिज है।

5. यह कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों ने भूमि खसरा नम्बर 1181 को आबादी भूमि मानते हुये धारा 22 के तहत उक्त भूमि का भूमिधारी राजस्थान सरकार को दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि में बनी बगीची व नई पलटन ठीकाना खेतड़ी के राजाबहादुर सरदार सिंह की निजी सम्पति थी एवं यह भूमि राज्य सरकार के खाता संख्या 01 में बतौर भूमि धारक जमाबन्दी में दर्ज है। परन्तु भूमि के पट्टाधारी अथवा खातेदार के कालम में प्रार्थीगण अथवा उनके पिता का नाम दर्ज नहीं है जो दर्ज होना चाहिये।

6. यह कि गत पैमाईश खसरा नम्बर 1181 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा के हाल पैमाईश में खसरा नम्बर 2778 रकबा 1.23 हेक्टेयर बने है एवं यह भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज है जबकि भूमि खसरा नम्बर 2278 रकबा 1.23 हेक्टेयर में दक्षिण के भाग में रकबा 9037 वर्गगज 0.8262 हेक्टेयर प्रार्थीगण के पिता व दादा की खरीदशुदा जयनिवास बगीची एवं मकानात है व उत्तर के शेष भाग में ठीकाना की नई पलटन है जो वादीगण के चाचा रामेश्वर लाल की खरीद[illegible] मकानात है। उक्त भूमि रिकार्ड में आबादी दर्ज है। परन्तु आबादी भूमि के पट्टेधारी अथ[illegible] का नाम दर्ज नहीं किया गया है जो काबिले दुरूस्ती है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:48:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

(क) वाके राजस्व ग्राम खेतड़ी के खाता संख्या 01 के खसरा नम्बर 2278 रकबा 9037 वर्गगज अर्थात 0.8262 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने की कृपा करें। तद्नुसार खसरा नम्बर 2278 का विभाजन एवं नक्शा किश्तवार में भी संशोधन करने की कृपा करें एवं खाता प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारी तहसीलदार खेतड़ी से उनके पत्रांक राजस्व / 2022 / 1545 दिनांक 17.10.2022 से इस आशय की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई कि :–

1. यह कि राजस्व ग्राम खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 2278 रकबा 1.23 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन आबादी वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश से नगर पालिका खेतडी की खातेदारी में दर्ज हो चुकी है।
2. यह कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल राजस्व ग्राम खेतड़ी स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 2278 गत खसरा नम्बर 1181 से बना है।
3. यह कि वादियान् द्वारा उपलब्ध करवाये गये विक्रय पत्र अनुसार गत खसरा नम्बर 1181 में दो बीघा 14 बिस्वा भूमि पुख्ता एवं 869 वर्ग गज भूमि जिसमें मकानात, खुडी, नोहरे आदि थे। वादियान् के दादा श्योनारायण पुत्र श्री जीवनराम जामि माली द्वारा ठीकाना खेतड़ी से क्रय की गई भूमि है। (विक्रय पत्र मय नक्शा प्रति संलग्न है।)
4. यह कि बिन्दु संख्या 3 में वर्णित क्रयशुदा कुल भूमि में से लगभग 0.14 हेक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ एवं शेष भूमि कृषि प्रयोजनार्थ वादियान् नन्दकिशोर, रिसाल सिंह, चन्द्र सिंह पुत्रान भोलाराम जाति माली द्वारा वर्तमान में काम ली जा रही है।

अतः बिन्दुवार रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ श्रीमान् जी की सेवामें सादर प्रेषित है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से बिन्दुवार प्रारम्भिक आपत्ति इस प्रकार से पेश हुई कि :–

<u>प्रारम्भिक आपत्ति</u>

1. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य से यह उजागर होता है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में खेतड़ी ठिकाना ट्रस्ट को पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार है। बिना ठिकाना खेतड़ी को पक्षकार बनाये बिना उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है।
2. यह कि भूमि गत खसरा नम्बर 1121 वर्तमान खसरा नम्बर 2278 जो कि खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज थी। अब वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर नगर पालिका खेतड़ी की खातेदारी में दर्ज है। यदि प्रार्थीगण के पूर्वज श्योनारायण सैनी ने ट्रस्ट से बिचौती पत्र के द्वारा भूमि को खरी[illegible] है तथा उसको आज तक नामान्तरण को कोई चुनौती क्यों [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।
3. यह कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में अपने परिवार की वंशावली (सजरा) का भी इन्द्राज नहीं किया है कि श्योनारायण कि मृत्यु [illegible] और कहां हुई। उसका भी उल्लेख नहीं है। ना ही प्रार्थीगण ने अपने पिता श्री भोलाराम सैनी की भी मृत्यु कब

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:48:07 IST
Reason: SelfAttested

01/4/24
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

और कहां हुई उसका भी उल्लेख प्रार्थना पत्र में वर्णन नहीं किया गया है। जिसके अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

4. यह कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत संशोधन की मांग की है जो कि राजस्थान राजस्व अधिनियम के तहत किसी भी सूरत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तथा धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में मात्र गणितीय टंकन भूल व लिपिकिय भूल को सुधार बारते है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से बिन्दुवार जवाब इस प्रकार से पेश हुआ कि :–

1. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 01 जिस भांती दर्ज है। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकल उपलब्ध नहीं करवाई है। जिसके अभाव में उत्तर दिया जाना असंभव है तथा खसरा नम्बर 1181 के नया खसरा नम्बर 2278 बने है। उक्त भूमि की खातेदारी नगर पालिका खेतड़ी के नाम से दर्ज है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 02 जिस भांती दर्ज है। अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीगण ने ठिकाना खेतड़ी व जागीर कमिश्नर का कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं कराया है। जिसके अभाव में उक्त खण्ड का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 03 जिस भांती दर्ज है। अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थीगण ने ठिकाना खेतड़ी ट्रस्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा प्रार्थीगण ने ठिकाना खेतड़ी के व जागीर कमिश्नर को कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं कराया है। जिसके अभाव में उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 04 जिस भांती दर्ज है। जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 05 जिस भांती दर्ज है। जानकारी के अभाव में अस्वीकार है तथा खसरा नम्बर 2278 रकबा 0.8262 हेक्टेयर जो कि नगर पालिका खेतड़ी की खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त खसरा नम्बर आबादी भूमि में है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 06 जिस भांती दर्ज है ना तो प्रार्थीगण ने और ना प्रार्थीगण के पूर्वजो ने अभी तक खसरा नम्बर 2278 के नामान्तरण को चुनौती नहीं दी है। इसलिये भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076, 2012, 2027–30 खाता संख्या 1, मिसल बंदोबस्त संवत 1998 खाता संख्या 2, मिसल हैकियत संवत 2043 खाता संख्या 2, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस मौजा ग्राम खेतड़ी पेश हुये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विक्रय पत्र दिनांक 08.11.1966 की फोटो प्रति, श्री दौलत सिंह, आई.ए.एस.जागीर कमिश्नर, राजस्थान जयपुर की अदालत के निर्णय दिनांक 05.12.1957 की सत्यप्रतिलिपि निजी संपति [illegible] ठ–क पेश हुये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:48:07 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभ[illegible]

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, [illegible]जात, तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट दिनांक 17.10.2022, प्रार्थना पत्र के अभिवच[illegible] अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

07/5/24

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह रहा है कि खाता संख्या 01 के खसरा नम्बर 2278 रकबा 9037 वर्ग गज अर्थात 0.8262 हेक्टेयर भूमि मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 08.11.1966 के प्रार्थीगण के नाम दर्ज की जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 08.11.1966 से साबित है कि राजस्व ग्राम खेतडी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 1181 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा किस्म आबादी में से 2 बीघा 14 बिस्वा पुख्ता का प्रार्थीगण के पूर्वज श्री श्योनारायण पुत्र जीवनराम जाति सैनी निवासी खेतडी के पक्ष में बेचान हुआ है। राजा बहादुर श्री सरदार सिंह के सिनियर अफसर राय बहादुर दीवान कर्मचन्द टंडन ने उक्त भूमि को राजा बहादुर श्री सरदार सिंह की निजी सम्पति मानते हुये जरिये मुख्यतार आम (General Power of Attorney) के प्रार्थीगण के पूर्वज श्री श्योनारायण पुत्र जीवनराम जाति सैनी निवासी खेतड़ी के पक्ष में बेचान किया है। श्री दौलत सिंह, आई.ए.एस. जागीर कमिश्नर, राजस्थान जयपुर की अदालत के निर्णय दिनांक 05.12.1957 के संलग्न परिशिष्ठ–(क) में घोषित राजा की निजी सम्पतियों में केवल स्थल (Name of Building) बगीची जयनिवास का नाम है। खसरा नम्बर का कोई उल्लेख नहीं है। ठिकाना खेतडी बंदोबस्त संवत 1998 खाता संख्या 2 आबादी गत खसरा नम्बर 1181 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा किस्म आबादी दर्ज रिकार्ड रही है। खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 1181 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा किस्म आबादी से हाल खसरा नम्बर 2278 रकबा 1.23 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन आबादी निर्मित हुआ है। हाल जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 2278 रकबा 1.23 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन आबादी निवास या वास के लिए दर्ज रिकार्ड रही है।

वादग्रस्त भूमि दिनांक 16.12.2020 तक राजस्थान सरकार के राजकीय खाता संख्या 1 निवास एवं वास (चारागाह के लिए नहीं) में दर्ज रिकार्ड रही है तथा तत्पश्चात राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6 (9) राज–6/96 पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 द्वारा नगरीय योग्य सीमा (Urbanisable Limits) में अवस्थित राजकीय भूमियों को नगरीय निकाओं को हस्तांतरण किये जाने कि, की गई व्यवस्था के क्रम में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज–6/2021 पार्ट/130 दिनांक 13.07.2022 से नगर पालिका खेतड़ी के नाम दर्ज हो चुकी है।

मुताबिक राजस्व रिकार्ड के वादग्रस्त भूमि विक्रय के दिन भी आबादी दर्ज रिकार्ड रही है तथा वर्तमान में भी गैर मुमकीन आबादी दर्ज रिकार्ड है। जहां तक प्रश्न है विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने का, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नामान्तरकरण का कार्यक्षेत्र केवल खातेदारी कृषि भूमि तक ही सीमित है न की आबादी भूमि के लिए। नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित आबादी भूमियों के संबंध में राज्य सरकार के सुसंगत नियमों एवं अधिनियमों के तहत [illegible] जाने के अधिकार नगर पालिका में निहित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप मामले के तथ्यों [illegible] प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के बाद प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना [illegible] नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:48:07 IST
Reason: SelfAttested

01/5/24

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मालिकाना अधिकारों के संबंध में आबादी भूमि की बाबत वर्तमान में प्रभावी सुसंगत नियमों एवं अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी के यहां चाराजोही करे।

निर्णय आज दिनांक **01.04.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/04/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतडी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:48:07 IST
Reason: SelfAttested